

सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान

राजभाषा अनुभाग

सं. 20-1/15/22-राभा.

दिनांक 13.07.2022

कार्यालय जापन

विषय - संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 110वीं तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही बैठक संस्थान संस्थान की निदेशक, डॉ. रंजना अग्रवाल की अध्यक्षता में दिनांक 06/07/2022 को अपराह्न 03.30 बजे संस्थान के परिषद कक्ष में हुई। बैठक में विम्नलिखित सदस्य समिलित हुए -

1. डॉ रंजना अग्रवाल, निदेशक, सीआरआरआई	अध्यक्ष
2. डॉ राजीव गोयल, प्रमुख, सेतु अभियांत्रिकी और संरचनाएं (बीईएस)	सदस्य
3. श्री दिनेश वी गणवीर, प्रमुख, दृढ़ कुट्रिटम (आरपी)	सदस्य
4. डॉ. के. रवींद्र, प्रमुख, परिवहन योजना और पर्यावरण (टीपीई)	सदस्य
5. श्री पी.वी. प्रदीप कुमार, प्रभागीय प्रमुख, पीएमई	सदस्य
6. श्री ए.के. जैन, प्रमुख, अनुरक्षण प्रभाग	सदस्य
7. डॉ नीरज शर्मा, प्रमुख, एमबीएसक्यू व बागवानी	सदस्य
8. श्रीमती संगीता बैनर्जी, वरि. प्रशासन नियंत्रक	पदेन सदस्य
9. श्री राजीव पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी, स्थापना 1	पदेन सदस्य
10. श्री एस एस गहरवार, वरि.प्रधान वैज्ञानिक व सदस्य, राभा. मानीटरन समिति	आमंत्रित सदस्य
11. श्री यू. के. गुरुविट्ठल, मुख्य वैज्ञानिक, जीई	प्रतिनिधि
12. श्री सुबोध कुमार, आईएलटी	प्रतिनिधि
13. श्री कौशल कुमार, एफपीडी	प्रतिनिधि
14. श्री डी. रवीन्द्र, पीएमई	नामित
15. श्री वी.के. कन्नौजिया, जीई	नामित
16. श्री राजेश कुमार, पीएमई	नामित
17. श्री संजय चौधरी, हिंदी अधिकारी	सदस्य सचिव

श्री ए.के. सागर, प्रमुख, पीई; डॉ. ए. मोहन राव, प्रमुख, टीईएस; श्री एस.मरियप्पन, प्रमुख, सीसीएन; श्री सुनील जैन, वरि.प्रधान वैज्ञानिक; श्री महिपाल सिंह, भंडार व क्रय अधिकारी; डॉ. मुक्ति अडवाणी, प्रमुख, केआरसी; श्री ए के त्रिपाठी, प्रभारी, एमबीएसक्यू; श्री मुकेश कुमार, अभियंता प्रभारी; श्री नितेश कुमार, वित्त व लेखा अधिकारी; श्री विरंधी सारंग, प्रशासन अधिकारी; अनुभाग अधिकारी, स्था.2; अनुभाग अधिकारी, कार्मिक; अनुभाग अधिकारी, सतर्कता; अनुभाग अधिकारी, वित्त व लेखा एवं अनुभाग अधिकारी, भंडार व क्रय छुट्टी पर होने या अन्य कारण से बैठक में शामिल नहीं हो सके। एफपीडी; जीटीई; आईएलटी प्रभागों के प्रतिनिधि बैठक में समिलित हुए। बैठक में सर्वप्रथम राकास की अध्यक्ष डॉ रंजना अग्रवाल ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात सदस्य सचिव ने बैठक की कार्यसूची की मर्दों को क्रमशः प्रस्तुत किया। बैठक में सर्वप्रथम राकास की अध्यक्ष डॉ रंजना अग्रवाल ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात सदस्य सचिव ने बैठक की कार्यसूची की मर्दों को क्रमशः प्रस्तुत किया।

मद सं. 1 बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तिमाही बैठक दिनांक 06.04.2022 को हुई। इसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को जारी किया गया था। कार्यवृत्त के बारे में कोई प्रतिकूल या संशोधन टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। डॉ राजीव गोयल, प्रमुख, बीईएस ने कहा कि बैठक के कार्यकारी

गोरी - - , (२)

अध्यक्ष को पिछली बैठक की कार्यसूची भेजनी चाहिए थी। सदस्य सचिव ने बताया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद समिति के द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। तत्पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में की गई कार्रवाई पर मदानुसार प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। उन पर क्रमशः चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

मद संख्या 1.1 सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत नियमों के अनुपालन के लिए भारत सरकार के सभी निदेशों व अनुदेशों का पालन किया जाता है। इसके अंतर्गत संस्थान के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों को निदेशक के हस्ताक्षर से व्यक्तिशः आदेश जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में प्रभागों में कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने संबंधी सुविधा की उपलब्धता पर चर्चा की गई। निदेशक महोदया ने इसके प्रशिक्षण के संबंध में समिति को अवगत कराने के लिए कहा। सदस्य सचिव ने बताया कि 14 जून 2022 को आधे दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समय-समय पर राजभाषा कार्यान्वयन, प्रशासनिक एवं तकनीकी विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। श्री यू. के. गुरुविठ्ठल, मुख्य वैज्ञानिक ने वर्तमान तिमाही में हिंदीतर वैज्ञानिकों की सहायता से एक तकनीकी कार्यशाला कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग व सभी प्रमुख के आयोजन का सुझाव दिया।

कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग व सभी प्रमुख

मद संख्या 2. बैठक में संस्थान की अप्रैल से जून 2022 तिमाही की राजभाषा प्रगति रिपोर्ट के ऑकड़े प्रस्तुत किए गए। समिति ने पाया कि निदेशक कार्यालय, टीपीई तथा स्था.-1 अनुभाग के ऑकड़े निर्धारित लक्ष्य से काफी कम हैं। निदेशक महोदया ने सभी संबंधितों से तिमाही रिपोर्ट के लिए अपेक्षित रिकार्ड का रखरखाव करने तथा हिंदी में कार्य बढ़ाने का निदेश दिया तथा जीटीई प्रभाग एवं पीईडी प्रभाग द्वारा समय से रिपोर्ट न भेजने को गंभीरता से लिया। समिति ने तिमाही रिपोर्ट के संदर्भ में समयबद्धता का पालन करने तथा ऑकड़ों की सटीकता एवं प्रामाणिकता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। सदस्य सचिव ने बताया कि संस्थान की संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाता है। संस्थान की तिमाही रिपोर्ट के संबंध में राजभाषा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाता है। संस्थान की तिमाही रिपोर्ट के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय; सीएसआईआर मुख्यालय एवं नराकास से समीक्षा पत्र प्राप्त होते हैं। इनके अनुसार 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में शतप्रतिशत हिंदी में पत्र भेजे जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी प्रमुखों एवं उच्च अधिकारियों को प्रयास करना होगा।

कार्रवाई.. प्रमुख (जीटीई, पीईडी), सभी प्रमुख, हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी व उच्च अधिकारी

मद सं 3 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम के निदेशों एवं लक्ष्यों के मद पर चर्चा के दौरान सदस्य सचिव ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 को संस्थान की वेबसाइट एवं सीआरआरआई इंट्रानेट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें उल्लिखित राजभाषा कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्यों पर चर्चा की गई। सदस्य सचिव ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 तथा समय-समय पर प्राप्त होने वाले आदेशों के अनुसार धारा 3(3) में द्विभाषिकता का पालन तथा हिंदी व अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। संस्थान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी में अधिक से अधिक टिप्पण लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। संस्थान के सभी प्रमुख/प्रभारी एवम हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी इसके अनुपालन के लिए जांचबिंदु बनाये गए हैं।

कार्रवाई.. सभी प्रमुख तथा सभी जांचबिंदु

मद सं 3.1 बैठक में सोशल मीडिया पर संस्थान की उपस्थिति पर चर्चा की गई। निदेशक महोदया ने सुझाव दिया कि संस्थान के ट्रिवटर अकाउंट द्वारा साझा किए जाने वाले पोस्ट द्विभाषी होने चाहिए। इसके लिए दिया कि संस्थान के ट्रिवटर अकाउंट द्वारा साझा किए जाने वाले पोस्ट द्विभाषी होने चाहिए। इसके लिए भारत से सम्पर्क करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बात पर भी चर्चा की राजभाषा अनुभाग को डॉ. जी. भरत से अधिक से अधिक टिप्पण लिखने का प्रयास किया जाए। डॉ. के. रवींद्र, प्रमुख, टीपीई ने गई कि संस्थान में हिंदी संबंधी गतिविधियों का नियमित आयोजन किया जाए। डॉ. के. रवींद्र, प्रमुख, टीपीई ने कहा कि संस्थान के अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को द्विभाषी आयोजित किया जाए। सदस्य सचिव ने

जारी: ~ (3)

बताया कि पिछली तिमाही में नराकास के स्तर पर हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन करने का समिति ने अनुमोदन किया था। इसके अनुसार 14 जुलाई 2022 को संस्थान के स्तर पर हिंदी प्रतियोगिता रखना प्रस्तावित है। निदेशक महोदया ने कहा कि हिंदी प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों आदि के लिए बजट की समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि राजभाषा निरीक्षण के दौरान संसदीय समिति इस बात पर बल देती है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार ही सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की कि प्रेरणा-प्रोत्साहन-पुरस्कार के द्वारा हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हर स्तर पर सकारात्मक सहयोग जरूरी है।

कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग, सभी प्रमुख तथा उपर्युक्त जांचबिंदु


मद सं 4 बैठक में नराकास, द-दि.1 के कार्यक्रमों में संस्थान की सक्रिय उपस्थिति एवं प्रतिभागिता पर चर्चा की गई। नराकास के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में प्राप्त ईमेल की जानकारी समिति को दी गई। सदस्य सचिव ने बताया कि नराकास के स्तर पर 14 जून 2022 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान तथा अन्य कार्यालयों के कुल 208 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समिति को जानकारी दी गई कि 29.07.2022 को नराकास के स्तर पर ऑनलाइन राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। संस्थान में अधिक से अधिक लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग व सभी प्रमुख

मद सं 5 बैठक में संस्थान की राजभाषा संबंधी गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गई। समिति ने संस्थान की हिंदी वेबसाइट के अयतनीकरण के लिए राजभाषा अनुभाग और सीसीएन प्रभाग के प्रयासों की सराहना की। निदेशक महोदया ने कहा कि हिंदी में प्रकाशित शोधपत्रों, पुस्तकों आदि की सूची भी अयतन की जानी चाहिए तथा सीसीएन प्रभाग की ओर से वेबसाइट के अपडेशन को जारी रखने की आवश्यकता है। समिति को सूचित किया गया कि संस्थान की हिंदी गृह पत्रिका 'सङ्कर दर्पण' के अगले अंक 23 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा 'घर में मातृभाषा, कार्यालय में राजभाषा' की नई पट्टिकाएं संस्थान के अधिकतर महत्वपूर्ण स्थानों पर लगवा दी गई हैं। आवश्यकता होने पर अनुरक्षण प्रभाग से इसे अन्य स्थानों पर लगवाने की मांग की जा सकती है।

कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग; प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन एवं अनुरक्षण

बैठक का उपर्युक्त कार्यवृत्त सभी संबंधितों को निदेशक महोदय के अनुमोदन से सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है।


13.07.2022
(सजय चौधरी)

हिंदी अधिकारी व
सदस्य सचिव, राकास

सेवा में –

1. निदेशक महोदय के निजी सचिव – सूचनार्थ
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य – सूची के अनुसार
3. सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख
4. प्रमुख, सीसीएन – इंट्रानेट व वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रतिलिपि –

1. वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, सीएसआईआर, नई दिल्ली
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/कार्यवाहक निदेशक/वरि हिंदी अधिकारी/हिंदी अधिकारी/प्रभारी
3. उपनिदेशक, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली
4. कार्यालय प्रति